संख्या-102/2023/2112/सैंतीस-2-2023/5(2)/2018

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनाँक-13 सितम्बर, 2023

विषयः- **गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत गो-संरक्षण केन्द्रों की निर्माण लागत बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-1209/सा0-2/बारह-619(भाग-2)/2023-24, दिनांक-29.08.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत गो-संरक्षण केन्द्रों की इकाई लागत को रू0-120.00 लाख से बढ़ाकर रू0-160.12 लाख किये जाने पर अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहमति प्रदान की जाती है:-

(1) वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत गो-संरक्षण केन्द्रों का स्ट्रक्चरल डिजाइन/ले-आउट व अन्य निर्धारित मानक वर्तमान में वर्ष 2023-24 हेतु अनुमोदित वृहद गो संरक्षण केन्द्रों के समरूप हो।

(2) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग/सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि वर्ष 2022-23 में स्वीकृत गो-सरंक्षण केन्द्रों के निर्माण में लापरवाही एवं उदासीनता के कारण बिलम्ब न हुआ हो। यदि उक्त जनपदों में निर्माण में विलम्ब स्थानीय स्तर की शिथिलता के कारण हुआ है, तो निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग/सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा सबंधित कार्मिक का उत्तरदायित्व सुनिश्चित कर कार्यवाही की जायेगी।

2- कृपया तद्नुसार अवगत होते हुए प्रकरण में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-102/2023/2112(1)/सैंतीस-2-2023/5(2)/2018, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/मुख्य अथवा वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
7. सचिव, उ0प्र0 गोसेवा आयोग, लखनऊ/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।